

**राजस्थान विधान सभा**

**चतुर्थ सत्र**

**कार्य-सूची**

**शुक्रवार, दिनांक 27 फरवरी, 2015**

**बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे**

**1. प्रश्न**

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

**2. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि**

**(क) अधिसूचनायें**

1- श्री राजपाल सिंह शेखावत, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री, वित्त एवं आबकारी विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

**(I) वित्त विभाग**

- 1- अधिसूचना संख्या: एफ.12(74)वित्त/कर/2014-105 दिनांक 24.9.2014 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा-6 के अन्तर्गत सिगरेटों पर कर की दर निर्धारित की गई है ;
- 2- अधिसूचना संख्या: एफ.12(143)वित्त/कर/2011-106 दिनांक 24.9.2014 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-84 दिनांक 30.7.2014 में संशोधन किया गया है ;
- 3- अधिसूचना संख्या: एफ.2(15)वित्त/कर/2010-107 दिनांक 29.9.2014 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा जारी नॉन-कन्वर्टेबल बॉण्ड्स पर देय स्टाम्प ड्यूटी में रियायत प्रदान की गई है ;
- 4- अधिसूचना संख्या: एफ.2(33)वित्त/कर/2014-108 दिनांक 29.9.2014 जिसके द्वारा रेकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन (इलेक्ट्रॉनिक और अदरवाईज) पर प्रभार्य स्टाम्प ड्यूटी पर छूट प्रदान की गई है ;
- 5- अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-पार्ट-109 दिनांक 30.9.2014 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(89)वित्त/कर/2007-26 दिनांक 29.6.2011 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ;
- 6- अधिसूचना संख्या: एफ.24(4)वित्त/कर/2014-110 दिनांक 01.10.2014 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ . 12(59) वित्त/कर/2014-47 दिनांक 14.7.2014 में दिनांक 1.8.2014 से संशोधन किया गया है ;
- 7- अधिसूचना संख्या: एफ.24(4)वित्त/कर/2014-111 दिनांक 01.10.2014 जिसके द्वारा केबल सर्विस पर मनोरंजन कर की दर निर्धारित की गई है ;
- 8- अधिसूचना संख्या: एफ.24(4)वित्त/कर/2014-112 दिनांक 1.10.2014 जिसके द्वारा राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर नियम, 1957 के नियम-18 व 18-ए में संशोधन किया गया है ;

- 9- अधिसूचना संख्या: एफ.12(79)वित्त/कर/2014-113 दिनांक 1.10.2014 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 में कतिपय संशोधन किये गये हैं ;
- 10- अधिसूचना संख्या: एफ.12(28)वित्त/कर/2010-पार्ट-1-118 दिनांक 8.10.2014 जिसके द्वारा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2014 के अन्तर्गत पात्र उद्यमों को विद्युत शुल्क में छूट प्रदान की गई है ;
- 11- अधिसूचना संख्या: एफ.12(28)वित्त/कर/2010-पार्ट-1-119 दिनांक 8.10.2014 जिसके द्वारा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2014 के अन्तर्गत पात्र उद्यमों को मनोरंजन कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है ;
- 12- अधिसूचना संख्या: एफ.12(28)वित्त/कर/2010-पार्ट-1-120 दिनांक 8.10.2014 जिसके द्वारा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2014 के अन्तर्गत पात्र होटल्स के लिये विलासिता कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है ;
- 13- अधिसूचना संख्या: एफ.12(28)वित्त/कर/2010-पार्ट-1-121 दिनांक 8.10.2014 जिसके द्वारा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2014 के अन्तर्गत पात्र उद्यमों को सशर्त प्रवेश कर में छूट प्रदान की गई है ;
- 14- अधिसूचना संख्या: एफ.2(15)वित्त/कर/2010-122 दिनांक 8.10.2014 जिसके द्वारा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2014 के अन्तर्गत योग्य उद्योगों को स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है ;
- 15- अधिसूचना संख्या: एफ.12(28)वित्त/कर/2010-पार्ट-1-123 दिनांक 08.10.2014 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(99)वित्त/कर/07-65 दिनांक 14.2.2008 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ;
- 16- अधिसूचना संख्या: एफ.12(91)वित्त/कर/2014-128 दिनांक 15.10.2014 जिसके द्वारा राज्य विद्युत क्षेत्र की कम्पनियों के लिये उस सीमा तक, जिस तक कर की दर 5 प्रतिशत से अधिक हो, प्रवेश कर में छूट प्रदान की गई है ;
- 17- अधिसूचना संख्या: एफ.2(5)वित्त/कर/2009-129 दिनांक 17.10.2014 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य वेयर हाऊसिंग कॉरपोरेशन को कतिपय क्षेत्रों में वेयरहाऊस निर्माण बाबत स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है ;
- 18- अधिसूचना संख्या: एफ.2(5)वित्त/कर/2009-130 दिनांक 17.10.2014 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य वेयर हाऊसिंग कॉरपोरेशन को कतिपय क्षेत्रों में वेयरहाऊस निर्माण बाबत पंजीयन शुल्क में छूट प्रदान की गई है ;
- 19- अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-पार्ट-131 दिनांक 18.10.2014 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(89)वित्त/कर/2007-26 दिनांक 29.6.2011 (समय-समय पर यथा संशोधित) में दिनांक 19.10.2014 से संशोधन किया गया है ;

- 20- अधिसूचना संख्या: एफ.12(82)वित्त/कर/2014-132 दिनांक 20.10..2014 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा-8(2) के अन्तर्गत अवशिष्ट से व्युत्पन्न ईंधन (आरडीएफ) पर वैट से छूट प्रदान की गई है ;
- 21- अधिसूचना संख्या: एफ.12(80)वित्त/कर/2014-133 दिनांक 22.10..2014 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा-4 की उप-धारा(5) के अन्तर्गत 500/- रुपये प्रति मीटर से अधिक विक्रय मूल्य वाले टैक्सटाइल शर्टिंग एण्ड शूटिंग पर वैट का परिहार किया गया है ;
- 22- अधिसूचना संख्या: एफ.12(103)वित्त/कर/2014-134 दिनांक 22.10..2014 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा-4(5) के अन्तर्गत अनुसूची-5 के क्रम सं. 44 में संशोधन किया गया है ;
- 23- अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/पार्ट--135 दिनांक 31.10.2014 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(89)वित्त/कर/2007-26 दिनांक 29.6.2011 (समय-समय पर यथा संशोधित) को दिनांक 1.11.2014 से विखण्डित किया गया है ;
- 24- अधिसूचना संख्या: एफ.12(83)वित्त/कर/2014-136 दिनांक 25.11.2014 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-32 दिनांक 14.7.2014 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ;
- 25- अधिसूचना संख्या: एफ.12(83)वित्त/कर/2014-137 दिनांक 25.11.2014 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-33 दिनांक 14.7.2014 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ;
- 26- अधिसूचना संख्या: एफ.2(15)वित्त/कर/2010-138 दिनांक 25.11.2014 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा जारी नॉन-कन्वर्टेबल बॉण्ड्स पर देय स्टाम्प ड्यूटी में रियायत प्रदान की गई है ;
- 27- अधिसूचना संख्या: एफ.12(104)वित्त/कर/2014-139 दिनांक 27.11..2014 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा-4 की उप-धारा-(5) के अन्तर्गत अनुसूची-4 में संशोधन किया गया है ;
- 28- अधिसूचना संख्या: एफ.12(104)वित्त/कर/2014-140 दिनांक 27.11..2014 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा-4 की उप-धारा-(5) के अन्तर्गत अनुसूची-5 में संशोधन किया गया है ;
- 29- अधिसूचना संख्या: एफ.12(111)वित्त/कर/2014-141 दिनांक 27.11.2014 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-25 दिनांक 14.7.2014 में संशोधन किया गया है ;

- 30- अधिसूचना संख्या: एफ.24(10)वित्त/कर/2014-142 दिनांक 5.12.2014 जिसके द्वारा फिल्म जेड-प्लस को दिनांक 5 दिसम्बर, 2014 से 4 दिसम्बर, 2015 तक मनोरंजन कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है ;
- 31- अधिसूचना संख्या: एफ.2(6)वित्त/कर/2014-143 दिनांक 16.12.2014 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-9-क के अन्तर्गत स्टाम्प ड्यूटी पर देय ब्याज एवं शास्ति की राशि में सशर्त रियायत प्रदान की गई है ;
- 32- अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-पार्ट-144 दिनांक 18.12.2014 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा-4 की उप-धारा-5 के अन्तर्गत अनुसूची-6 में संशोधन किया गया है ;
- 33- अधिसूचना संख्या: एफ.2(67)वित्त/कर/2014-145 दिनांक 19.12.2014 जिसके द्वारा मीरा कन्या महाविद्यालय, संगरिया (हनुमानगढ़) को निष्पादित दस्तावेज पर देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है ;
- 34- अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-146 दिनांक 22.12.2014 जिसके द्वारा हिन्दी भाषा में प्रकाशित अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-9 दिनांक 14.7.2014 के संबंध में शुद्धि-पत्र जारी किया गया है ;
- 35- अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-147 दिनांक 22.12.2014 जिसके द्वारा हिन्दी भाषा में प्रकाशित अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-10 दिनांक 14.7.2014 के संबंध में शुद्धि-पत्र जारी किया गया है ;
- 36- अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-148 दिनांक 22.12.2014 जिसके द्वारा हिन्दी भाषा में प्रकाशित अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-13 दिनांक 14.7.2014 के संबंध में शुद्धि-पत्र जारी किया गया है ;
- 37- अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-149 दिनांक 22.12.2014 जिसके द्वारा हिन्दी भाषा में प्रकाशित अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-14 दिनांक 14.7.2014 के संबंध में शुद्धि-पत्र जारी किया गया है ;
- 38- अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-150 दिनांक 22.12.2014 जिसके द्वारा हिन्दी भाषा में प्रकाशित अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-16 दिनांक 14.7.2014 के संबंध में शुद्धि-पत्र जारी किया गया है ;
- 39- अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-151 दिनांक 22.12.2014 जिसके द्वारा हिन्दी भाषा में प्रकाशित अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-17 दिनांक 14.7.2014 के संबंध में शुद्धि-पत्र जारी किया गया है ;



- 50- अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-162 दिनांक 22.12.2014 जिसके द्वारा आंगल भाषा में प्रकाशित अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-09 दिनांक 14.7.2014 के संबंध में शुद्धि-पत्र जारी किया गया है ;
- 51- अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-163 दिनांक 22.12.2014 जिसके द्वारा आंगल भाषा में प्रकाशित अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-12 दिनांक 14.7.2014 के संबंध में शुद्धि-पत्र जारी किया गया है ;
- 52- अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-164 दिनांक 22.12.2014 जिसके द्वारा आंगल भाषा में प्रकाशित अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-14 दिनांक 14.7.2014 के संबंध में शुद्धि-पत्र जारी किया गया है ;
- 53- अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-165 दिनांक 22.12.2014 जिसके द्वारा आंगल भाषा में प्रकाशित अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-18 दिनांक 14.7.2014 के संबंध में शुद्धि-पत्र जारी किया गया है ;
- 54- अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-166 दिनांक 22.12.2014 जिसके द्वारा आंगल भाषा में प्रकाशित अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-23 दिनांक 14.7.2014 के संबंध में शुद्धि-पत्र जारी किया गया है ;
- 55- अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-167 दिनांक 22.12.2014 जिसके द्वारा आंगल भाषा में प्रकाशित अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-39 दिनांक 14.7.2014 के संबंध में शुद्धि-पत्र जारी किया गया है ;
- 56- अधिसूचना संख्या : एफ.12(129)वित्त/कर/2011-पार्ट-169 दिनांक 7.1.2015 जिसके द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा-8 की उप-धारा-(5) के अन्तर्गत लेमिनेटेड ऑटोमोबाइल टैक्सटाइल फेब्रिक्स पर केन्द्रीय विक्रय कर की दर को 0.5 प्रतिशत तक किया गया है ;
- 57- अधिसूचना संख्या: एफ.2(88)वित्त/कर/2010-171 दिनांक 8.1.2015 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-9- की उप-धारा (1) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लि0 को शेयर सर्टिफिकेट पर देय स्टाम्प इयूटी में छूट प्रदान की गई है ;
- 58- अधिसूचना संख्या: एफ.2(6)वित्त/कर/2014-172 दिनांक 16.1.2015 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.2(6)वित्त/कर/2014-143 दिनांक 16.12.2014 में संशोधन किया गया है ;
- 59- अधिसूचना संख्या: एफ.2(62)वित्त/कर/2010-173 दिनांक 21.1.2015 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-9- की उप-धारा (1) के अन्तर्गत गिर्ल लिगनाईट थर्मल पावर प्रोजेक्ट यूनिट-2 के पक्ष में असेट्स एवं लाईबिलिटीज के हस्तान्तरित दस्तावेज पर देय स्टाम्प इयूटी में छूट प्रदान की गई है ;

- 60- अधिसूचना संख्या: एफ.12(79)वित्त/कर/2014-पार्ट-1-174 दिनांक 22.1.2015 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम-40 में संशोधन किया गया है ;
- 61- अधिसूचना संख्या:एफ.12(101)वित्त/कर/2014-175 दिनांक 22.1.2015 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा-4 की उप-धारा-5 के अन्तर्गत अनुसूची-4 में संशोधन किया गया है ;
- 62- अधिसूचना संख्या: एफ.12(34)वित्त/कर/2010-177 दिनांक 23.1.2015 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-32 दिनांक 14.7.2014 में संशोधन किया गया है ;
- 63- अधिसूचना संख्या: एफ.12(34)वित्त/कर/2010-178 दिनांक 23.1.2015 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-33 दिनांक 14.7.2014 में संशोधन किया गया है ;
- 64- अधिसूचना संख्या: एफ.15(19)वित्त/कर/2014-179 दिनांक 28.1.2015 जिसके द्वारा पर्यावरण एवं स्वास्थ्य उपकर की वसूली हेतु सहायक माईनिंग इंजिनियर्स को असेसिंग ऑफिसर्स के रूप में नियुक्त किया गया है ;
- 65- अधिसूचना संख्या: एफ.12(79)वित्त/कर/2014-180 दिनांक 29.1.2015 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम-9 में संशोधन किया गया है ;
- 66- अधिसूचना संख्या: एफ.12(134)वित्त/कर/2014-181 दिनांक 2.2.2015 जिसके द्वारा राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश कर नियम, 1999 में संशोधन किया गया है ;
- 67- अधिसूचना संख्या: एफ.12(89)वित्त/कर/2012-182 दिनांक 5.2.2015 जिसके द्वारा मै0 आयशर पोलारिस प्रा0 लि0 द्वारा उपभोग की गई विद्युत पर देय शुल्क पर छूट प्रदान की गई है ;
- 68- अधिसूचना संख्या: एफ.12(89)वित्त/कर/2012-183 दिनांक 5.2.2015 जिसके द्वारा राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश कर अधिनियम, 1999 की धारा-9 के अन्तर्गत मै0 आयशर पोलारिस प्रा0 लि0 को प्रवेश कर से छूट प्रदान की गई है ;
- 69- अधिसूचना संख्या:एफ.12(89)वित्त/कर/2012-184 दिनांक 5.2.2015 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा-8 की उप-धारा-(3क) के अन्तर्गत अनुसूची-2 में संशोधन किया गया है ;
- 70- अधिसूचना संख्या: एफ.12(89)वित्त/कर/2012-185 दिनांक 5.2.2015 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा-8 की उप-धारा-(3) के अन्तर्गत मै0 आयशर पोलारिस प्रा0 लि0 को माल के विक्रय पर सशर्त कर से छूट प्रदान की गई है ;

- 71- अधिसूचना संख्या:एफ.12(89)वित्त/कर/2012-पार्ट-186 दिनांक 5.2.2015 जिसके द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा-8 की उप-धारा-(5) के अन्तर्गत मै0 आयशर पोलारिस प्रा0 लि0 पर केन्द्रीय विक्रय कर की दर को 0.05 प्रतिशत तक किया गया है ;
- 72- अधिसूचना संख्या: एफ.12(89)वित्त/कर/2012-187 दिनांक 6.2.2015 जिसके द्वारा हिन्दी भाषा में प्रकाशित अधिसूचना संख्या: एफ.12(89)वित्त/कर/2012-184 दिनांक 5.2.2015 के संबंध में शुद्धि-पत्र जारी किया गया है ;
- 73- अधिसूचना संख्या:एफ.12(16)वित्त/कर/2009-188 दिनांक 9.2..2015 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत एमनेस्टी योजना-2015 अधिसूचित की गई है ;
- 74- अधिसूचना संख्या:एफ.24(4)वित्त/कर/2015-189 दिनांक 11.2..2015 जिसके द्वारा फिल्म हवाईजादा को अधिसूचना जारी करने की तिथि से एक वर्ष के लिये सशर्त मनोरंजन कर से मुक्त किया गया है ;
- 75- अधिसूचना संख्या:एफ.2(6)वित्त/कर/2014-190 दिनांक 14.2..2015 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:एफ.2(6)वित्त/कर/2014-143 दिनांक 16.12..2014 (समय-समय पर यथा संशोधित) को अधिक्रमित किया गया है ;
- 76- अधिसूचना संख्या:एफ.12(101)वित्त/कर/2011-191 दिनांक 24.2..2015 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:एफ.12(63)वित्त/कर/2005-81 दिनांक 11.8..2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ; एवं
- 77- अधिसूचना संख्या:एफ.12(28)वित्त/कर/2010-पार्ट-III-192 दिनांक 24.2.2015 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(28)वित्त/कर/2010-पार्ट-I-121 दिनांक 8.10.2014 को अतिष्ठित किया गया है ।

## (II) आबकारी विभाग

- 1- अधिसूचना संख्या: प.4(1)वित्त/आब/2014-पार्ट-III दिनांक 1.10.2014 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 में संशोधन किया गया है ; एवं
- 2- अधिसूचना संख्या: प.4(11)वित्त/आब/2009-पार्ट-I दिनांक 10.10.2014 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी (ग्रान्ट ऑफ होटल बार/क्लब बार लाइसेंसेज) नियम, 1973 में संशोधन किया गया है।



2- श्री यूनुस खान, परिवहन मंत्री, परिवहन विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

**परिवहन विभाग**

- 1- अधिसूचना संख्या: एफ.6(75)परि/कर/मु/08/55279-91 दिनांक 20.8.2014 जिसके द्वारा दिनांक 25.8.2014 से 10.9.2014 की अवधि में अन्य राज्यों से रामदेवरा (जिला-जैसलमेर) आने-जाने वाले समस्त यात्री वाहनों पर देय 3500/- रुपये से अधिक करों का सशर्त परिहार किया गया है ;
  - 2- अधिसूचना संख्या: एफ.6(64)परि/कर/मु/2012/62899 दिनांक 15.12.2014 जिसके द्वारा सैंट जूडे इंडिया चाईल्ड केयर सैंटर्स, जयपुर के वाहन पर देय कर का सशर्त परिहार किया गया है ; एवं
  - 3- अधिसूचना संख्या: एफ.6(123)परि/कर/मु/2005/ दिनांक 9.2.2015 जिसके द्वारा इस्कॉन फूड रिलीफ फाउण्डेशन, मानसरोवर, जयपुर 7 वाहनों पर देय कर का सशर्त परिहार किया गया है।
- 3- श्री सुरेन्द्र गोयल, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री, पंचायती राज विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

**पंचायती राज विभाग**

- 1- अधिसूचना संख्या: एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/परावि/2014/1457 दिनांक 5.11.2014 जिसके द्वारा अजमेर जिले की कतिपय ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किया गया है ;
- 2- अधिसूचना संख्या: एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/परावि/2014/1458 दिनांक 5.11.2014 जिसके द्वारा भीलवाड़ा जिले की कतिपय ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किया गया है ;
- 3- अधिसूचना संख्या: एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/परावि/2014/1459 दिनांक 5.11.2014 जिसके द्वारा टोंक जिले की कतिपय ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किया गया है ;
- 4- अधिसूचना संख्या: एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/परावि/2014/1460 दिनांक 5.11.2014 जिसके द्वारा नागौर जिले की कतिपय ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किया गया है ;
- 5- अधिसूचना संख्या: एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/परावि/2014/1461 दिनांक 5.11.2014 जिसके द्वारा भरतपुर जिले की कतिपय ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किया गया है ;
- 6- अधिसूचना संख्या: एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/परावि/2014/1462 दिनांक 5.11.2014 जिसके द्वारा धौलपुर जिले की कतिपय ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किया गया है ;
- 7- अधिसूचना संख्या: एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/परावि/2014/1463 दिनांक 5.11.2014 जिसके द्वारा करौली जिले की कतिपय ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किया गया है ;









- 60- अधिसूचना संख्या: एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/परावि/2014/1516 दिनांक 5.11..2014 जिसके द्वारा उदयपुर जिले की कतिपय ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किया गया है ;
- 61- अधिसूचना संख्या: एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/परावि/2014/1517 दिनांक 5.11..2014 जिसके द्वारा बांसवाड़ा जिले की कतिपय ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किया गया है ;
- 62- अधिसूचना संख्या: एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/परावि/2014/1518 दिनांक 5.11..2014 जिसके द्वारा झुंजरपुर जिले की कतिपय ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किया गया है ;
- 63- अधिसूचना संख्या: एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/परावि/2014/1539 दिनांक 17.11..2014 जिसके द्वारा राज्य की ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों के पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन बाबत एक शुद्धि-पत्र जारी किया गया है ;
- 64- अधिसूचना संख्या: एफ.4(25)एम/रूल/इले/लीगल/पीआर/2014/1531 दिनांक 12.11..2014 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 में संशोधन किया गया है ;
- 65- अधिसूचना संख्या: एफ.4(25)एम/रूल/इले/लीगल/पीआर/2014/1625 दिनांक 18.12..2014 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 में संशोधन किया गया है ;
- 66- अधिसूचना संख्या: एफ.4(25)एम/रूल/इले/लीगल/पीआर/2014/1645 दिनांक 24.12..2014 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 में संशोधन किया गया है ; एवं
- 67- अधिसूचना संख्या: एफ.4( )डिजी/पट्टा/विधि/पंरा/2014/1569 दिनांक 27.11..2014 जिसके द्वारा डिजीटली हस्ताक्षरित आवासीय पट्टा अनुमान्य किया गया है ; एवं
- 68- अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)अधिसूचना/विधि/पंरा/2015/105 दिनांक 20.2..2015 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-98 के अन्तर्गत इस अधिनियम की धारा-26(2) में वर्णित शक्तियाँ जिला कलक्टर को प्रत्यायोजित की गई हैं ।

**(ख) प्रतिवेदन एवं लेखे**

(I) श्री राजपाल सिंह शेखावत, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री, भारत के नियंत्रक - महालेखा परीक्षक के वित्त-लेखे (खण्ड-I एवं II) वर्ष 2013-2014 एवं विनियोग लेखे वर्ष 2013-2014 सदन की मेज पर रखेंगे ।

### 3. समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

(I) श्री रामेश्वर लाल डूडी, सभापति, जनलेखा समिति, 2014-2015 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे :-

1. जनलेखा समिति, 2012-13 के 178वें प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2014-15 का 31वां प्रतिवेदन।
2. जनलेखा समिति, 2012-13 के 216वें प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2014-15 का 32वां प्रतिवेदन।
3. जनलेखा समिति, 2010-11 के 55वें प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2014-15 का 33वां प्रतिवेदन।
4. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2010-11 के अनुच्छेद संख्या 2.1 में समाविष्ट उद्यान विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2014-15 का 34वां प्रतिवेदन ।
5. जनलेखा समिति, 2011-12 के 88वें प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2014-15 का 35वां प्रतिवेदन ।
6. जनलेखा समिति, 2012-13 के 157वें प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2014-15 का 36वां प्रतिवेदन ।
7. जनलेखा समिति, 2013-14 के 223वें प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2014-15 का 37वां प्रतिवेदन ।
8. जनलेखा समिति, 2012-13 के 177वें प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2014-15 का 38वां प्रतिवेदन ।
9. जनलेखा समिति, 2013-14 के 225वें प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2014-15 का 39वां प्रतिवेदन ।
10. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2011-12 के अनुच्छेद संख्या 3.2.2, 3.4.5 एवं 3.4.7 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा वर्ष 2011-12 का अनुच्छेद सं. 3.4.8 महिला बाल विकास एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2014-15 का 40वां प्रतिवेदन ।
11. जनलेखा समिति, 2013-14 के 234वें प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2014-15 का 41वां प्रतिवेदन ।

12. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राज्य वित्त) वर्ष 2011-12 के अनुच्छेद संख्या 1.8.4 एवं 3.4 वन, गृह एवं जलन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी तथा (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा सिविल) वर्ष 2011-12 का अनुच्छेद सं. 3.1.3 व 3.4.9 जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2014-15 का 42वाँ प्रतिवेदन ।
13. जनलेखा समिति, 2013-14 के 235वें प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2014-15 का 43वां प्रतिवेदन ।
14. जनलेखा समिति, 2013-14 के 248वें प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2014-15 का 44वां प्रतिवेदन ।
15. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राज्य वित्त) वर्ष 2011-12 के अनुच्छेद संख्या 2.3.2.1 में समाविष्ट कृषि, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, वन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा जल संसाधन विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2014-15 का 45वाँ प्रतिवेदन ।
16. विनियोग लेखे वर्ष 2011-12 में बताये गये दत्तमत अनुदानों तथा प्रभूत विनियोगों में अतिरेक के मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2014-15 का 46 वाँ प्रतिवेदन ।
17. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2011-12 का अनुच्छेद संख्या 3.1.1 आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, वर्ष 2011-12 का अनुच्छेद सं.3.3.1 वित्त विभाग, वर्ष 2011 का अनुच्छेद सं. 3.4.2 श्रम एवं नियोजन विभाग तथा वर्ष 2011-12 का अनुच्छेद सं. 3.4.12 आपदा प्रबन्धन, वित्त एवं गृह विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2014-15 का 47वाँ प्रतिवेदन ।
18. जनलेखा समिति, 2013-14 के 244वें प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2014-15 का 48वां प्रतिवेदन।
19. जनलेखा समिति, 2013-14 के 242वें प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2014-15 का 49वां प्रतिवेदन।
20. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2010-11 का अनुच्छेद संख्या 2.3.2.1 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पर्यटन तथा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2014-15 का 50वाँ प्रतिवेदन ।



21. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियों) वर्ष 2009-10 में समाविष्ट आबकारी विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2014-15 का 51वाँ प्रतिवेदन ।
22. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियों) वर्ष 2009-10 में समाविष्ट पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2014-15 का 52वाँ प्रतिवेदन ।
23. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियों) वर्ष 2008-9 में समाविष्ट विक्री कर विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2014-15 का 53वाँ प्रतिवेदन।
24. जनलेखा समिति, 2011-12 (तेरहवीं विधान सभा) के 87वें प्रतिवेदन (वन विभाग) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2014-15 का 54वाँ प्रतिवेदन ।
25. जनलेखा समिति, 2011-12 (तेरहवीं विधान सभा) के 106वें प्रतिवेदन (भू-राजस्व विभाग) से संबंधित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2014-15 का 55वाँ प्रतिवेदन ।
26. जनलेखा समिति, 2013-14 के 246वें प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2014-15 का 56वाँ प्रतिवेदन।

(II) श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा, सभापति, याचिका समिति, 2014-2015 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से संबंधित याचिका समिति के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे ।

#### 4. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रोत्तर वाद-विवाद

श्री जोगाराम पटेल (वि.सं.-67), सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 26 फरवरी, 2015 को प्रस्तुत निम्नांकित प्रस्ताव पर अग्रोत्तर वाद-विवाद होगा :-

"इस सत्र में एकत्रित हम, राजस्थान विधान सभा के सदस्यगण, राज्यपाल द्वारा इस सदन में दिये गये अभिभाषण के प्रति उनके आभारी हैं ।"

पृथ्वी राज  
विशिष्ट सचिव

विधान सभा भवन,  
जयपुर  
दिनांक 26 फरवरी, 2015